



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257782
CG-DL-E-09102024-257782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4017]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2024/आश्विन 17, 1946

No. 4017]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ASVINA 17, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2024

विषय: भारत के राजपत्र में 09 अप्रैल, 2024 को प्रकाशित अनुसूची में शामिल उत्पाद श्रेणियों के लिए "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा में विस्तार

का.आ. 4378(अ).— जबकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 09 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस.ओ. 1652(ई) के माध्यम से केंद्र सरकार ने "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2021" की अनुसूची के क्रम संख्या 41 में सीसीटीवी कैमरे के लिए आवश्यक आवश्यकता(ओं) को शामिल किया था। इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि 9 अक्तूबर, 2024 थी। और, चूंकि, आदेश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के साथ चर्चा की गई है और अतएव, उद्योग ने आदेश के अनुपालन हेतु अधिक समय मांगा है, अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि आदेश के कार्यान्वयन की तारीख 9 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

[फा. सं. डब्ल्यू-43/11/2021-आईपीएचडब्ल्यू]

आशा नांगिया, समूह समन्वयक एवं वैज्ञानिक 'जी'

नोट: मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में एस.ओ. संख्या 1248(ई), दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में एस.ओ. संख्या 1353(ई) दिनांक 25 मार्च, 2021, एस.ओ. 2844(ई) दिनांक 01 जुलाई 2021, एस.ओ. संख्या 1929(ई) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 और एस.ओ. संख्या 1652(ई) दिनांक 9 अप्रैल, 2024 को संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2024

Subject: Extension in timelines for the implementation of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021” for product categories included in the schedule) published in Gazette of India on 09th April, 2024

S.O. 4378(E).—Whereas in exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government, had included Essential Requirement(s) for CCTV camera at Sl. No 41 of the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021” vide S.O. 1652 (E) published in Gazette of India on 09th April, 2024. The date of coming into effect of this Order was 9th October, 2024. And, whereas, the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of the Order and whereas, the industry has sought more time for compliance of the Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 9th, April, 2025.

[F. No. W-43/11/2021-IPHW]

ASHA NANGIA, GC & Scientist ‘G’

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25th March, 2021, S.O. 2844(E) dated 01st July 2021, S.O. No 1929(E) dated 26th April, 2023 and S.O. No 1652(E) dated 9th April, 2024.